राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्र.2/कलिभ/दस्ता.सत्या./2018/1484 जयपुर दिनांकः 2.4.18

परिपत्र

कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में दस्तावेज सत्यापन हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय पारित करते हुये निर्देश प्रदान किये है कि उनके दस्तावेज सत्यापन किये जावे एवं यदि वे पात्र पाये जावे तो उन्हें नियमानुसार कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दी जावें, इस संबंध में विभिन्न जिला परिषदों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 3382 दिनांक 06.09.2017 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वरीयता सूची में पात्र होने पर दस्तावेज सत्यापन का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात भी दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहे थे, उनके दस्तावेज सत्यापन अब नही किये जाने है। वर्तमान में दस्तावेज सत्यापन केवल उन अभ्यर्थियों के किये जाने है जो विभिन्न न्यायिक प्रकरणों की पालना में अब दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होगें।

उक्त विषयक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10735/2017 महेन्द्र कुमार बलाई बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 को स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 में विचारार्थ रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने उक्त प्रकरण को शिक्षक भर्ती से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18821/2017 ब्रिजेश कुमारी व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2017 के आधार पर निस्तारित किया है। विचार विमर्श पश्चात प्रकरण में समिति का अभिमत है कि शिक्षक भर्ती एवं कनिष्ठ लिपिक भर्ती में आधारभूत अन्तर है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर वरियता सूची बनाई गई है जबकि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में सीनियर सैकण्डरी में प्राप्त प्राप्तांकों को 70 प्रतिशत वैटेज दिये जाने तथा 30 प्रतिशत अंक कार्यानुभव के आधार पर देते हुये वरियता सूची बनाई गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदक के पास अन्य जिलो में दस्तावेज सत्यापन करा पाने की उपलब्धता नही थी जबकि कनिष्ठ लिपिक भर्ती में आवेदक विभिन्न जिलों में दस्तावेज सत्यापन करा सकते थे। कुछ प्रकरणों में पाया गया है कि बडी संख्या में अभ्यर्थी जो पूर्व में दस्तावेज सत्यापन करा चुके थे तथा उन जिलों की वरियता सूची में नही आ पाये थे, अब येन केन प्रकारेण उन जिलो में जहां वरियता सूची नीचे रही है, में दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण

तथ्यों पर विचार–विमर्श करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपके जिले में इस प्रकार के अन्य समान प्रकरणों में जिनमें पूर्व में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उनके पक्ष में निर्णय पारित किये है, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रकरण में नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा अविलम्ब डी.बी. में अपील दायर कराने की कार्यवाही कराई जावे। यहां यह सुनिश्चित किया जावे कि अपील प्रस्तुत करते समय इस तथ्य का उल्लेख किया जावे कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आपके जिले के अलावा अन्य किस–किस जिले में पूर्व में दस्तावेज सत्यापन कराये जा चुके है। इस विषय में अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग के यहां सभी जिलों से दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना संकलित की जा चुकी है। अतः यह सुनिश्चित किया जावें कि इस संबंध में फाईल की जा रही सभी अपीलों में यह विवरण अतिरिक्त आयुक्त के यहां से प्राप्त कर समावेषित किया जावें। आप द्वारा अभ्यर्थियों जिनके बाबत डी.बी. अपील दायर की जा रही है, का सम्पूर्ण विवरण अतिरिक्त आयुक्त को भेजकर उनका विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय,ग्राविपंराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंराज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. उप शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस बाबत प्रकरण में प्रभारी अधिकारी विकास अधिकारी नियुक्त हो तो उन्हें अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करें।
6. रक्षित पत्रावली।
7. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव